भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
जीएसटी आयुक्त का कार्यालय, गुवाहाटी
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF GST
सेठी ट्रस्ट बिल्डिंग, पाचवीं मंजिल, जी .एस रोड, भांगागढ़ , गुवाहाटी-781005
SETHI TRUST BUILDING, 5TH FLOOR, G.S. ROAD, BHANGAGARH, GUWAHATI – 781 005

राष्ट्र कर बाजार

हिन्दी रूपान्तर

व्यापार सूचना

दिनांक 31.05.2018

विषय :रिफंड क्लियरेंयस पखवाड़ा 31 मई 2018 से 14 जून 2018 तक, दिनांक 30 अप्रैल 2018 तक दाखिल रिफड आवेदन के क्लियरेंयस के संबंध में।

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा रिफंड क्लियरेंयस पखवाड़ा का विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी का पालन करते हुए इस इस आयुक्तालय द्वारा 31 मई 2018 से 14 जून 2018 तक. लंबित पड़े रिफंड क्लियरेंयस अभियान चलाया जाएगा। इस आयुक्तालय के अधीन आने वाले सभी मंडल कार्यालय एवं सेवा केन्द्र रिफंड से संबंधित लंबित मामले को निपटाएंगे।

व्यापार एवं औद्योगिक जगत इस बात से अवगत ही हैं कि जीएसटी रिफंड आवेदन को ऑनलाईन दाखिल करना होता है एवं इसके पश्चात मैनुयल हार्डकॉपी को जरूरी दस्तावेजों के साथ क्षेत्राधिकार मंडल कार्यालय को जमा करवाना होता है। यदि किसी करदाता ने मैनुयल हार्डकॉपी जमा नही करवाया है तो उनसे अनुरोध है कि वे तुरंत अपने क्षेत्र में आनेवाले मडल कार्यालय को सभी जरूरी दस्तावेज के साथ सम्पर्क करें ताकि उनके रिफड का भुगतान की प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सके।

इसके अलावा, यदि किसी भी करदाता को उनके आवेदन के संबंध में डिफिसेंन्सी मेमो जारी की गई है तो उनसे अनुरोध है कि वे तत्काल अनुपालन हेतु रिफंडके निपटाने के लिए सम्पर्क करें।

व्यापार एवं औद्योगिक संघो/चैंबर ऑफ कॉमर्स से अनुरोध है कि वे इसके विषय वस्तु को सभी के संज्ञान में लाएं।

श्रीबास धर

(श्रीबास धर)
सहायक आयुक्त
दिनांक 8/6/18

C.No.IV(16)176/HQRS/TECH/TRADENOTICE/GHY/2017/ 1113–47
प्रति अग्रेषित

1. मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त कार्यालय शिलांग-793001
2. कर आयुक्त,असम, गुवाहाटी
3. आयुक्त (सीमा शुल्क) निवारक शिलागं-793001
4. आयुक्त, सीजीएसटी शिलांग/डिब्रूगढ़/इटानगर/आईजल/अगरतला/डिमापुर/इम्फाल
5. आयुक्त लेखा परीक्षा/अपील गुवाहाटी
6. सहायक आयुक्त सिलचर/बोगाईगांव, गुवाहाटी जीएसटी-I-II
7. मुख्यालय प्रणालीको वेबसाईट के अपलोड हेतु
8. सभी व्यापार एवं औद्योगिक एसोसियेसन/चैंबर ऑफ कॉमर्स
9. गार्ड फाईल

श्रीबास धर

(श्रीबास धर)
सहायक आयुक्त (इ सिद्ध)